

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण संचालनालय मध्यप्रदेश

1250, तुलसीनगर, भोपाल- 462003

फोन-0755-2556916 फैक्स-2552665, ईमेल- dir.socialjustice@mp.gov.in

क्रं./सा.सहा./2019/ 235

भोपाल, दिनांक/2/02/2019

प्रति,

1. समस्त कलेक्टर
 2. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत
 3. समस्त आयुक्त, नगर निगम
 4. समस्त संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण
 4. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
- मध्यप्रदेश

विषय :- लाभांविता पेंशन हितग्राहियों की सूची को ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा करने के संबंध में।

विभिन्न पेंशन योजनाओं में आयुक्त नगर निगम, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका/नगर परिषद एवं ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा पेंशन पोर्टल पर स्वीकृत नवीन पेंशन प्रकरणों एवं प्रतिमाह पेंशन प्रपोजल की स्वीकृति के आधार पर प्रतिमाह की 1 तारीख को राज्य स्तर से पेंशन का भुगतान संबंधित हितग्राही के खाते में किया जाता है। सफल एवं असफल भुगतान की संख्यात्मक जानकारी एवं सूची को पेंशन पोर्टल पर प्रदर्शित किया जाता है।

पेंशन हितग्राहियों को पेंशन का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसकी सूचना हितग्राहियों को हो सके, इस हेतु प्रतिमाह लाभांविता पेंशन हितग्राहियों की सूची को ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के पटल पर चस्पा किया जाना आवश्यक है, जिससे कि जनसामान्य भी उनके क्षेत्र में लाभांविता पेंशन हितग्राहियों की सूची को सूचना पटल पर देख सके।

पेंशन हितग्राहियों की सूची ग्राम पंचायत/जनपद पंचायत/नगरीय निकाय के यूजर पर उपलब्ध कराई गई है। पेंशन पोर्टल से हितग्राहियों की सूची को प्राप्त किया जाये एवं सूची का प्रिंट कर ग्राम पंचायत/वार्ड कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा किया जाये। पालन प्रतिवेदन जिले के संयुक्त/उप संचालक, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण द्वारा संचालनालय को प्रेषित किया जाये।

(कृष्ण गोपाल तिवारी)

संचालक,

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.

पृ.क्र./सा.सहा./2019/ 236

भोपाल, दिनांक/2/02/2019

प्रतिलिपी:-

1. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.।
2. समस्त समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, संबंधितों से समन्वय कर कार्यवाही सुनिश्चित करावे।

उप संचालक (सा.सहा.),

सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण म.प्र.